**भारत सरकार**

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय**

**स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग**

**राज्य सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या : 1138**

उत्तर देने की तारीखः 16.12.2013

**मध्याह्न भोजन योजना के अन्तर्गत खाद्यान्नों की गुणवत्ता**

**1138. श्री किरनमय नन्दाः**

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को मध्याह्न भोजन योजना (एमडीएमएस) के लिए घटिया खाद्यान्नों की आपूर्ति के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस योजना हेतु गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्नों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री**

**(डा. शशि थरूर)**

**(क) और (ख) :** मध्याह्न भोजन योजना के लिए खराब गुणवत्ता के खाद्यान्नों की आपूर्ति के संबंध में दो शिकायतें, एक पश्चिम बंगाल (2012) से और दूसरी हरियाणा (2013) से प्राप्त हुई थी। पहली शिकायत को निराधार पाया गया था। दूसरी शिकायत खाद्यान्नों की कम मात्रा में सुपुर्दगी के साथ-साथ चावल की खराब गुणवत्ता के संबंध में थी। संबद्ध राज्य प्राधिकारियों द्वारा भारतीय खाद्य निगम के साथ परामर्श करके शिकायत का निवारण कर लिया गया था।

**(ग) :** मध्याह्न भोजन योजना के दिशा-निर्देशों में भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से कम से कम उचित औसत गुणवत्ता वाले उत्तम गुणवत्तायुक्त खाद्यान्नों को उठाने, खाद्यान्नों का शुष्क और सुरक्षित स्थानों में भंडारण, समुचित रूप से प्रशिक्षित रसोइया-सह-सहायकों द्वारा के स्वच्छ वातावरण में भोजन पकाने का प्रावधान किया गया है। पकाए गए भोजन को बच्चों को परोसे जाने से पूर्व एक शिक्षक सहित 2-3 वयस्कों द्वारा चखा जाना होता है। इसके अतिरिक्त, मध्याह्न भोजन योजना के कार्यान्वयन और पर्यवेक्षण में सामुदायिक समावेश को भी बढ़ावा दिया जाता है।

\*\*\*\*\*